भाकृअनुप–केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान,

श्री गंगानगर रोड, एन.एच.15, 10 किमी. माइल स्टोन,
बीकानेर (राजस्थान) 334006 –फोन–0151–2253123, 2250960

नीलामी सूचना 01/2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के पुराने एवं नकारा घोषित सामान जिसमें प्रयोगशाला/कार्यालय/कृषि इत्यादि कार्यों में काम आने वाले उपकरण/मशीनरी की खुली नीलामी की जावेगी जिनका विवरण निम्न है:–

मद संख्या	सामान/सामग्री	सूची कमांक	धरोहर राशि	नीलामी दिनांक
1	BOD, Vertical Autoclave, TDR Meter, Vortex shaker, Automatic N-Analyzer etc.	01 to 14	10,000.00	26.8.2021
2	Farm-Field/Agri items (Microsprinklar System, Scatear, Phawda, Hedge shear, dantla, Ber pruner etc.	01 to 23		
3	Electric & Other items- Stabilizer, AC, Air cooler, Fan, Electric Air Duster Neutralizer, Exhaust Fan, Geyser, UPS, DG Set, Electric pannel, Tube well motor pump, pipes, Valve, Saluice Valve, Gate Valve, Pressure Cooker & Sraps etc.	01 to 89		
4	Digital Items- Computer, Printer, Scanner, Dish TV, Colour TV, Video casting player, Automatic Slide Projector, etc.	01 to 91		

उक्त सामान/सामग्री की नीलामी जहां है जैसी है के आधार पर की जानी है। सामान की नीलामी उपरोक्त वर्णित मदवार में अंकित दिनांक को प्रातः 11.30 बजे से संस्थान के कार्यालय भवन में आयोजित की जावेगी। नीलामी में बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को उपरोक्त वर्णित मदवार में निर्धारित धरोहर राशि जमा करानी होगी यह धरोहर राशि नीलामी की दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य ही जमा की जावेगी तथा प्रातः 11.30 बजे नीलामी हेतु बोली प्रारम्भ हो जायेगी। नीलामी से पूर्व (दिनांक 25.08.2021 तक) 10.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक इच्छुक व्यक्ति/फर्म उपरोक्त नकारा सामान को देख सकते है तथा अन्य जानकारी हेतु कार्य –दिवसों में कार्यालय समय के दौरान संस्थान के प्रभारी भण्डार व भण्डार पालक से सम्पर्क कर सकते है। नीलामी में शामिल नकारा सामान का पूरा विवरण तथा नीलामी की विस्तृत शर्तें/कार्यक्रम इत्यादि की जानकारी संस्थान कार्यालय के सूचना पट्ट एवं संस्थान की वेब साईट ciah.icar.gov.in तथा CPPNIC Portal (GOI) से ली जा सकती है। संबधित व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से पूर्व समय–समय पर जारी कोविड संबधी गाईड लाईन की पालना करना अनिवार्य होगी।

11/8/21

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रेषण क्र./Despatch No. 2550
दिनांक/Date: 11-8-21
केन्द्रबारी/CIAH, Bikaner

प्रतिलिपिः

1. प्रभारी एकेएमयू, भाकृअनुप–के.शु.बा.सं., बीकानेर–कृपया निविदा सूचना एवं नीलामी शर्तें संस्थान की वैब साईट ciah.icar.gov.in तथा CPPNIC Portal (GOI) पर अपलोड करें।
2. प्रभारी सुरक्षा, भाकृअनुप–के.शु.बा.सं., बीकानेर–कृपया नीलामी के समय सुरक्षा का प्रबंध करें।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय/फार्म

भाकृअनुप–केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान,

श्री गंगानगर रोड, एन.एच.15, बीछवाल औधौगिक क्षेत्र पोस्ट ओफिस,
बीकानेर (राजस्थान) 334006
दूरभाष संख्या : 0151–2253123, 2250960,फैक्स 0151–2250145

नकारा सामान हेतु नीलामी –सूचना की नियम/शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के संलग्न सूची में वर्णित पुराने एवं नकारा सामान की नीलामी,जहां है जैसा है के आधार पर की जावेगी :–

1. प्रत्येक मद के लिये अलग–अलग नीलामी होगी तथा पहले मद की नीलामी पूर्ण होने पर ही दूसरे मद की नीलामी प्रारम्भ होगी।
2. प्रत्येक मद के लिये नीलामी दिनांक 26.08.2021 को प्रातः 11.30 बजे से 1.00 बजे मध्य संस्थान के कार्यालय भवन में की जावेगी। किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि नीलामी निर्धारित तिथि को नहीं हो सकी तो अगले कार्य दिवस को होगी।
3. प्रत्येक मद के लिये अलग नीलामी बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोली दाता को रु. 10000.00 नीलामी धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह राशि प्रातः 10.30 बजे से 11.00 बजे के मध्य ही जमा की जावेगी तथा 11.30 बजे से बोली प्रारम्भ हो जायेगी।
4. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे प्रत्येक मद (ग्रुप) की स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) तुरन्त मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिनों में जमा करानी होगी। प्रथम मद की बोली स्वीकार होने पर बोली की 33 प्रतिशत तुरन्त जमा कराने पर ही दूसरे मद की बोली में उस बोली दाता को शामिल किया जावेगा।
5. भारत/ राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत देय सभी प्रकार के बिक्रीकर(जीएसटी/आयकर इत्यादि) की भुगतान की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी एवं संस्थान उत्तरदायी नहीं होगी। यह बोली राशि के अतिरिक्त होगी।
6. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि एवं राशि बोली की एक तिहाई राशि संस्थान द्वार जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली का रदद कर दिया जायेगा। इस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की बोली स्वीकार करने या नकारा समान के विक्रय हेतु पुनः नीलामी आयेाजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
7. नीलामी के लिये सूची में वर्णित पुराने एवं नकारा सामान को देखने के इच्छुक व्यक्ति संस्थान के सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं सहायक (स्टोर) से सभी कार्य दिवस में 11.00 बजे से 1.00 बजे दिनांक 25.08.2021 तक सम्पर्क कर सकते है।
8. जो व्यक्ति एन्ड्राय फोन का उपयोग कर रहें है उनके मोबाईल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना आवश्यक है। सुरक्षित होने की अवस्था में ही उन्हें नीलामी के लिये संस्थान में प्रवेश दिया जायेगा।
9. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
10. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की संस्थान के मुख्य द्वार पर थर्मल सिंकिनिंग(टेम्प्रेचर) की जांच एवं हाथों को सेनेटाईज्ड किया जायेगा। सामान्य होने की अवस्था में ही उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
11. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. नीलामी में लेने वाले व्यक्तियों को इस संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार/ जिला कलेक्टर द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की अनुपालना आवश्यक रुप से करनी होगी।
13. बोली में वे ही व्यक्ति/फर्म भाग ले सकते है जिसके पास जीएसटी प्रमाणपत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि की फोटो प्रति साथ में हो तथा धरोहर राशि जमा करवाते समय कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा।
14. अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका अन्तिम होगी।
15. बोली/ नीलामी में नीलाम किये समस्त सामान को बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि नीलामी की समस्त औपचारिकता पूर्ण करने पर तथा संस्थान से पत्र जारी होने के तीन दिवस में नीलामी का सामान ले जाना होगा। तत्पश्चात फर्म/व्यक्ति का दावा सामान पर नहीं होगा।
16. नीलामी के सामान को एक मुश्त ले जाने को समय प्रातः 11.00 AM से 4.00 PM के मध्य होगा।

11/8/21

सहायक प्रशासनिक अधिकारी